न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2022/245

1. मानव एंव पर्यावरण विकास संस्थान 22 बीबनवा रोड बून्दी द्वारा सचिव राजेन्द्र प्रसाद आत्मज श्री घनश्याम लाल जाति गुर्जर निवासी 3–बी– 21 विकास नगर बून्दी राजस्थान
2. राजेन्द्र प्रसाद आत्मज श्री घनश्याम लाल जाति गुर्जर निवासी 3–बी– 21 विकास नगर बून्दी सचिव मानव एंव पर्यावरण विकास संस्थान 22 बीबनवा रोड बून्दी राजस्थान

–अपीलान्ट

बनाम

1. शान्ति पुत्री श्री देवचंद जाति भाती निवासी नैनवां तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी रूणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान
2. श्रीमती गणेशी बाई पत्नी श्री लादू जाति भाती निवासी लंका हाली का झोपडा नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान
3. भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वकत बहस–(1). हेमेन्द्र सिंह आसावत– अधिवक्ता अपीलांट
(2). ब्रहमानंद शर्मा – अधिवक्ता रेस्पो0 02

निर्णय दिनांक 20.06.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 130/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अपीलांट 1 राजस्थान सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक पंजीकृत संस्था है। जिसका सचिव प्रार्थी अपीलांट 2 है। यह कि नैनवां प्रथम पटवार हल्का नैनवाँ भू.अ.निक्षेत्र नैनवाँ तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 (वर्ष 2021) के खाता संख्या 722 के खसरा संख्या 6469/3553 रकबा 0.0971 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है। यह कि खाता संख्या 242 जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3550 रकबा 0.15 बिस्वा, खसरा संख्या 3551 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 3552 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 3553 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 3565 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 3566 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 3567 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 3568 रकबा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 3569 रकबा 0.14 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा में स्थित रेस्पो0 प्रत्यर्थी संख्या 1 के सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 को जर्यै पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2009 को बैचान किया था जिसमें से प्रत्यार्थी रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से 1/5 का 41 /54 यानि की सम्पूर्ण भूमि का 41/270 हिस्से की भूमि को प्रार्थी अपीलांट संख्या 1 ने खरीद किया था तथा शेष हिस्सा 1/5 का 13/ 54 यानि सम्पूर्ण भूमि का 13 / 270 हिस्सा की भूमि को लादूलाल आत्मज श्री देवचंद्र जाति माली निवासी नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी ने खरीद किया था। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रत्यर्थी रेस्पो0 संख्या 1 का कुछ भी हिस्सा शेष नही रहा था। यह कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण को नामान्तरकरण संख्या 3365 दिनांक 09.01.2009 नैनवां प्रथम तहसील नैनवां जिला बून्दी से प्रत्यार्थी रेस्पो0 संख्या 1 के स्थान पर सह खातेदार दर्ज किया गया था और जमाबंदी में उसी अनुरूप प्रार्थीगण अपीलांट को सहखातेदार अंकित किया गया था तब से ही प्रार्थीगण अपीलांट अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज काश्त है।यह कि प्रत्यार्थी रेस्पो0 संख्या 1 व अन्य सह खातेदारान ने प्रार्थीगण अपीलांट को अपनी क्रय शुदा भूमि से वंचित करने के आशय से प्रत्यार्थी रेस्पो0 संख्या 3 के समक्ष राजीनामा पेश किया जिसके आधार पर प्रत्यार्थी रेस्पो0 3 ने बिना जांच किये सहमति बंटवारे के आदेश दिनांक 17.12.2018 को किया गया । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपीलांट सहखातेदार दर्ज था तथा प्रत्यार्थी रेस्पो0 1 सहखातेदार अंकित नही था क्योंकि प्रत्यार्थी रेस्पो0 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 06.01.2009 को प्रार्थीगण अपीलांट के पक्ष में बैचान कर दिया था उसके बावजूद भी प्रत्यार्थी रेस्पो0 1 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवाली। यह कि प्रत्यार्थी रेस्पो0 1 द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बैचान करने के बाद गलत तरिके से अपने नाम दर्ज करवाने के बाद प्रत्यार्थी रेस्पो0 1 व 2 ने षड्यंत्र रचकर प्रार्थीगण अपीलांट को अपनी खरीद शुदा भूमि से वंचित करने के आशय से प्रत्यार्थी रेस्पो0 1 ने प्रत्यार्थी रेस्पो0 2

के पक्ष में दान पत्र निष्पादित किया। जिसका पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय मैनवां के कार्यालय में दिनांक 26.05.2021 को करवाया गया। प्रत्यार्थी रेस्पो0 1 द्वारा दिनांक 26.05.2021 को प्रत्यार्थी रेस्पो0 2 के पक्ष में किया गया दान पत्र शुरू से ही शून्य प्रभावी नल एण्ड वोईड है जिसके आधार पर प्रत्यार्थी रेस्पो0 2 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रत्यार्थी रेस्पो0 1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2009 से ही Estoped है । अन्त मे प्रार्थीगण अपीलांट को उक्त वर्णित भूमि (विवादित भूमि) का अपने आप को खातेदार कृषक घोषित किये जाने एवं विवादित भूमि की जमाबंदी व अन्य राजस्व भू. अभिलेखो में प्रत्यार्थी संख्या 1 के नाम को विलोपित करवाकर प्रार्थीगण का नाम बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही प्रार्थीगण प्रत्यार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा खरीद शुदा भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नही करे भूमि को खुद बुर्द नही करे, भूमि को बैचान रहन दान या अन्य प्रकार से हस्तान्तारित नही करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे ना ही ऐसा किसी अन्य से करवायें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29.09.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे अंदर मियाद प्रस्तुत की है।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून, न्याय एंव तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि खाता संख्या 242 जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3550 रकबा 0.15 बिस्वा खसरा नम्बर 3551 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 3552 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 3553 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 3565 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 3566 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 3567 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 3568 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 3569 रकबा 0.14 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा मे स्थित रेस्पोडेण्ट कम 1 के सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 को जर्यै पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2009 को बैचान किया था जिसमे से रेस्पोडेण्ट कम 1 के हिस्से 1/5 का 41/54 यानि की सम्पूर्ण भूमि का 41/270 हिस्से की भूमि को अपीलाण्ट कम 1 ने खरीद किया था तथा शेष हिस्सा 1/5 का 13/54 यानि सम्पूर्ण भूमि का 13/270 हिस्सा की भूमि को लाडूलाल आत्मज श्री देवचंद जाति माली निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी ने खरीद किया था। इस प्रकार उक्त भूमि मे रेस्पोडेण्ट कम 1 का कुछ भी हिस्सा शेष नही रहा था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट को नामान्तकरण संख्या 3365 दिनांक 09.01.2009 नैनवां प्रथम तहसील नैनवां जिला बून्दी से रेस्पोडेण्ट कम 1 के स्थान पर सह खातेदार दर्ज किया गया था, तब से ही अपीलाण्ट अपनी खरीदशुदा उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 3365 को अपास्त नही किया है उक्त नामान्तकरण के संबंध मे कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं चली है और न ही किसी अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरण व उसके आधार पर अंकित प्रविष्टि को निरस्त करने अथव हटाये जाने का कोई आदेश नही दिया है। रेस्पोडेण्ट कम 1 व अन्य सह खातेदारान ने अपीलाण्ट्स को अपनी क्रयशुदा भूमि से वंचित करने के आशय से रेस्पोडेण्ट कम 3 के समक्ष राजीनामा पेश किया जिसके आधार पर रेस्पोडेण्ट कम 3 ने बिना जांच किये सहमति बंटवारे के आदेश दिनांक 17.12.2018 को किया गया। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स सहखातेदार दर्ज था तथा रेस्पोडेण्ट कम 1 सहखातेदार अंकित नही था क्योकि रेस्पोडेण्ट कम 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 06.01.2009 को अपीलाण्ट के पक्ष में बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, उसके बावजूद भी रेस्पोडेण्ट कम 01 ने प्रार्थना पत्र की उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 6469/3553 अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसका रेस्पोडेण्ड कम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। रेस्पोंडेण्ट कम 1 द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बैचान करने के बाद गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवाने के बाद रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2 ने षडयंत्र रचकर अपीलाण्ट्स को अपनी खरीदशुदा भूमि से वंचित करने के आशय से रेस्पोडेण्ट कम 1 ने रेस्पोडेण्ट कम 2 के पक्ष में दान पत्र

निष्पादित किया गया। जिसका पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय नैनवा के कार्यालय मे दिनांक 26.05.2021 को करवाया गया। रेस्पोडेण्ट कम 1 द्वारा दिनांक 26.05.2021 को रेस्पोडेण्ट क्रम 2 के पक्ष में किया गया दान पत्र शुरू से ही शून्य प्रभावी नल एण्ड वोईड है। जिसके आधार पर रेस्पोडेण्ट कम 2 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। रेस्पोडेण्ट कम 1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2009 से ही Estoped है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया कि कानून अस्थायी निषेधाज्ञा उस पक्षकार के हक मे जारी की जाती है जिसका आराजी पर कब्जा हो। चाहे योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर– 6469/3553 वाके ग्राम नैनवां प्रथम तहसील नैनवां जिला बून्दी पर अपीलाण्ट का कब्जा प्रमाणित होने बावजूद भी निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील विषयक आराजी रेस्पोडेण्ट कम 1 से कय करने के उपरान्त से अपीलाण्ट काबिज काश्त निरन्तर चला आ रहा है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के संबंध में स्पष्ट फाइडिंग दिये बिना ही निर्णय जैरे अपील पारित करने में त्रुटि की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 6469/3553 वाके ग्राम नैनवां प्रथम तहसील नैनवां जिला बून्दी पर अपीलाण्ट वाद कय से काबिज काश्त निरन्तर चले आ रहे है। अपीलाण्ट उक्त अपील विषयक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण तरीके निर्णय जैरे अपील पारित करने में त्रुटि की है जो आंशिक रूप से निरस्त किये जाने के योग्य है। वाद लाने के समय वादीगण अपीलाण्ट ने अपना कब्जा प्रथम दृष्टया साबित कर दिया था इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (27) 2020 पेज 82–89 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खसरा संख्या 3553, 3569 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा मे स्थित अपने हिस्से का बेचान कभी प्रार्थीगण व लादूलाल के पक्ष मे नहीं करवाया और प्रार्थीगण व लादूलाल को उक्त दोनो नम्बरान मे से कब्जा संभलाया। उक्त खसरे की भूमि पर अप्रार्थीया सदैव काबिज रहकर लगातार उपयोग उपभोग करती चली आ रही थी। इस दौरान अप्रार्थी संख्या 1 शांति ने अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड बेचान अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक मे दिनांक 26.05.2021 को कर दिया तथा मौके पर कब्जा संभला दिया, तब से ही अप्रार्थी संख्या 2 उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर कृषि कार्य करती चली आ रही है। अन्त मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 को विधि सम्मत होना बताकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील में ग्राम नेनवां में स्थित आराजी खसरा नं0 6469/3553 रकबा 0.0971 हे0 भूमि के संबंध में अपीलांट की कयशुदा एवं कब्जे काश्त की भूमि होना बताते हुए अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील प्रस्तुत की गयी है। उक्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में शांति पुत्री देवचंद (प्रत्यार्थी संख्या 01) की खातेदारी में दर्ज है। खाता संख्या 242 मे दर्ज खसरा नम्बर 3550 रकबा 0.15 बिस्वा, खसरा नम्बर 3551 रकबा 1 बीघाा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 3552 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 3553 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 3565 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 3566 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 3567 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 3568 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 3569 रकबा 0.14 बिस्वा कुल किता 09 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से प्रत्यार्थी सं0 01 (शांति पुत्री देवचंद) का हिस्सा 1/5 में से अर्थात् संपूर्ण भूमि का 41/270 हिस्सा भूमि अपीलांट द्वारा जर्ये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 06.01.2009 से कय किया जाना अंकित किया है। पत्रावली में उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 3365 दिनांक 09.01.2009 के द्वारा उक्त बेचान के अमल का नोट जमाबंदी संवत् 2060–2063 तथा जमाबंदी संवत् 2064–67 में अंकित है, परन्तु इसके बाद की जमाबंदी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। क्या अपीलांट प्रश्नगत भूमि के सह खातेदार थे या उनका अलग–अलग खसरा नम्बर बना, इसमे स्पष्टता का अभाव है। पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 06.01.2009 से अपीलांट द्वारा प्रत्यार्थी सं0 01 से उसके हिस्से मे से हिस्सा कय किया गया था तो अपीलांट द्वारा विशिष्ट खसरा नं0 6469/3553 रकबा 0.0971 हे0 भूमि किस आधार पर अपनी खरीदशुदा व कब्जे काश्त की भूमि होना बताया है, जबकि उक्त आराजी के विधिवत विभाजन के संबंध में कोई राजस्व रिकार्ड अथवा दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाया गया। अतः अपीलांट के कथन अनुसार दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं होने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अपीलांट द्वारा प्रत्यार्थी सं0 01 से कय की गयी उसके हिस्से की भूमि तथा वर्तमान खसरा नं0 6469/3553 की 0.0971 भूमि दोनों एक ही भूमि है, यह साबित करने हेतु कोई राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रत्यार्थी संख्या 01 के खाते में दर्ज वर्तमान खसरा नं0 6469/3553 की 0.0971 हे0 भूमि अपीलांट द्वारा उसके संयुक्त खातेदारी के हिस्सा 1/5 में से हिस्सा 41/270 हिस्सा कय की गयी भूमि के ही नवीन खसरा नं0 होने की पुष्टि होती हो। अपील के बिन्दु संख्या 7 मे अंकित दिनांक 17.12.2018

को किये गये सहमति के बंटवारे के कोई दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे अपीलांट के कथन की पुष्टि नहीं होती है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे प्रतीत नहीं होता है। यह स्पष्ट नहीं होता कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 6469/3553 की भूमि केवल उनके हक अधिकार की है, क्योंकि कोई विधिवत विभाजन हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष मे प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण के बिन्दु पर किए गए विवेचन से प्रार्थी के पक्ष मे यह बिन्दु नहीं पाया गया है। विशिष्ट खसरा नम्बर 6469/3553 पर अपीलांट के कब्जे काश्त का कोई ठोस साक्ष्य भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति मे अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी अपीलांट अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारीज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बूंदी प्रकरण संख्या 180/प्रा. पत्र/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा(राज0)